तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.9.25	**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला** जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 34/2025 (2025/107) अनवान भगाराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी भगाराम पुत्र खीयाराम जाति पटेल निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 234/2 वाके राजस्व ग्राम देवनगर पटवार मण्डल धींगाणा तहसील लूणी जोधपुर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता नाम खींयाराम के स्थान पर खेमाराम दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी के पिता का नाम खीयाराम ही है। इस खसरे के अलावा अन्य जो ग्राम सालावास के खसरा संख्या 439/6 एवं ग्राम किशनासर की जो खसरा संख्या 649/2 की कृषि भूमियां है उसमें प्रार्थी के पिता का नाम खीयाराम ही दर्ज है केवल इस खसरा संख्या 234/2 में ही प्रार्थी के पिता का नाम खीयाराम के स्थान पर खेमाराम त्रुटिवश दर्ज कर दिया गया है। जो गलत है प्रार्थी के नाम से जो वोटर आधार कार्ड, पेनकार्ड, इत्यादि में प्रार्थी के पिता का नाम खीयाराम ही दर्ज है। अतः खसरा संख्या 234/2 वाके ग्राम देवनगर पटवार मण्डल धींगाणा तहसील लूणी जोधपुर में जो प्रार्थी के पिता का नाम खेताराम दर्ज है उसके स्थान पर खियाराम दर्ज करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.) लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/1912 दिनांक 24.06.2025 ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि भगाराम पुत्र खेमाराम व भगाराम पुत्र खीयाराम दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। तथा जरिये बख्शीशनामा में भगाराम पुत्र खेमाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना बताया गया। उपरोक्त विवेचन तथा तहसीलदार लूणी की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तथा रिपोर्ट के सलंग्न रजिस्टर्ड बख्शीशनामा में प्रार्थी का नाम भगाराम पुत्र खेमाराम दर्ज है। जो कि उप पंजीयक लूणी द्वारा किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	